

**दत्तक जानकारी अधिनियम विवरण**

मूल प्रति केलिफोर्निया सामाजिक सेवा विभाग (CDSS) दत्तक कार्यालय को या केलिफोर्निया की लाइसेन्स शुदा लोक या निजी दत्तक एजेंसी की फाइल के लिए। एक प्रति इस प्रारूप को हस्ताक्षर करने वाले जन्म देने वाले पालक को भी दी जानी चाहिए।

**SECTION A: To be completed by an authorized representative of the CDSS Adoptions Office or a California licensed public or private adoption agency or an Adoption Service Provider (ASP).**

BIRTH PARENT'S NAME

CHILD'S NAME

CHILD'S BIRTHDATE

TYPE OF ADOPTION

Independent or  Agency:  Termination of Parental Rights or  Relinquishment

Original copy will be maintained by:

CDSS, 744 P Street, M.S. 8-12-31, Sacramento, California 95814 (  this box for ALL Independent Adoptions or Adoptions Office Cases)

-OR-

Name and Address of California Licensed Adoption Agency

**भाग B: जन्म देने वाले पालक द्वारा पूर्ण व हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए व सीडीएसएस (CDSS) दत्तक कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि, केलिफोर्निया की लाइसेन्स शुदा लोक या निजी दत्तक एजेंसी या किसी एएसपी (ASP) द्वारा साक्ष्य दिया गया।**

परिवार कोड की धारा 8702 व 8818 के अनुसार निम्न जानकारी आपके द्वारा दी जानी चाहिए:

- यह बच्चे के अधिकतम हित में होगा की आप जन्म पालक के रूप में CDSS या केलिफोर्निया की लाइसेन्स शुदा दत्तक एजेंसी जिसका नाम और पता ऊपर आया है को आपके सम्मुख आने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या जो बच्चे को प्रभावित कर सकती है के बारे में सूचित करें।
- यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप जन्म देने वाले पालक के रूप में आपके पते का अद्यतन CDSS या केलिफोर्निया लाइसेन्स शुदा दत्तक एजेंसी जिसका नाम ऊपर आया है करते रहें ताकि आपके चिकित्सकीय या सामाजिक इतिहास समबन्धि किसी भी पृछताछ पर प्रतिक्रिया कि अनुमति दी जा सके।
- अधित्याग या सहमति की मूल प्रति उस देश के काउंटी लिपिक के कार्यालय में दस्तावेजीत की जाएगी जहां दत्तक दिया गया है। इसे देखने का अधिकार केवल दत्तक प्रक्रिया के भागीदारों, उनके वकील और CDSS को होगा जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के जज द्वारा आदेश ना दिया जाए।
- परिवार कोड का भाग 9203 किसी दत्तक लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि 21 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर CDSS या केलिफोर्निया की लाइसेन्स शुदा दत्तक एजेंसी जिसका नाम ऊपर आया है को याचिका देकर अपने जन्म देने वाले माता-पिता का नाम व पता प्राप्त कर सके। आप छह संख्या वाले उपयुक्त डब्बे को चिन्हित कर यह संकेत दे सकते हैं कि आप आपके नाम व पते का इस तरह से खुलासा चाहते हैं या नहीं।
- आप जन्म देने वाले पालक के रूप में आपके निर्णय को की आप आपके नाम व पते का खुलासा करना चाहते हैं या नहीं को किसी भी समय बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक इस नोटरीकृत चिट्ठी, जिसमें वापसी कि रसीद का अनुरोध किया गया हो रजिस्टर्ड डाक से CDSS या केलिफोर्निया लाइसेन्स शुदा दत्तक एजेंसी को भेज सकते हैं जिसका नाम ऊपर आया है।
- नीचे दिये गए डब्बों में से एक को चिन्हित कर संकेत दें कि क्या आप आपके नाम व पते का खुलासा आपके बच्चे के सामने करना चाहते हैं या नहीं जैसा कि संख्या 4 में ऊपर जारी किया गया है।
 

हाँ, मैं अपना नाम व पते का खुलासा करना चाहता/ती हूँ।

नहीं, मैं अपने नाम व पते का खुलासा नहीं चाहता/ती हूँ।

इस समय अनिश्चय की स्थिति में हूँ, एजेंसी को बाद में सूचित करूंगा/गी।

जन्म देने वाले पालक के हस्ताक्षर

दिनांक

सीडीएसएस (CDSS)/लाइसेन्स शुदा दत्तक एजेंसी के प्रतिनिधि या एएसपी (ASP) के हस्ताक्षर

दिनांक

**भाग C: लोक नोटरी द्वारा केवल उस हालात में पूर्ण किया जाएगा यदि CDSS दत्तक कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि, केलिफोर्निया की लाइसेन्स शुदा लोक या निजी दत्तक एजेंसी या एएसपी (ASP) द्वारा हस्ताक्षरित ना किया गया हो। केलिफोर्निया राज्य के बाहर हस्ताक्षरित होने पर नोटरी द्वारा पूर्ण व हस्ताक्षरित किया जाए।**

**\*\*COMPLETED BY NOTARY PUBLIC\*\***

The Notary Public must staple the Acknowledgement document to this form and sign and date below:

SIGNATURE OF NOTARY

DATE